## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 91/2024 प्रा0 पत्र | 13.03.2024 | 20/8/2024 |

उनवान

1. प्रेमचन्द आत्मज श्री लादूलाल धोबी निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री पृथ्वीराज चौधरी।

2— विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

### —:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दांथल, भू0अ0नि0 क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 804 रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं काश्त करते चले आ रहे है तथा अपना एंव अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे है।

उक्त आराजी संख्या 804 पर अपने हक हिस्से की भूमि पर राजस्व रेकार्ड में स्थित पर आने जाने का रास्ता ग्राम बतको का खेडा पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित गे0मु0 रास्ता आराजी नम्बर 1368 से होकर विपक्षी सरहद बतको का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1594/1370 से होकर रास्ता गाडी गडार जो करीब 25 फीट चौडा है, जिये लाल स्याही से दर्शा रखा है, से होकर अपनी आराजी पर आता जाता है। उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थी की आराजी में आने—जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी की उक्त आराजियात में आने—जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है व लेकिन आराजी नम्बर 1594/1370 जो कि बिलानाम दर्ज होने व रास्तें के रूप में दर्ज नहीं होने से प्रभावशाली लोगो द्वारा कब्जा कर रास्तें को बन्द करने की कोशिश की जा रही है। इस पर प्रार्थी ने विपक्षी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त रास्तें को राजस्वर रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु दिनांक 15.02.2024 को निवेदन किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा साफ तौर पर मना कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दाथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दाथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 804 रकबा 0.1897 हैक्टयर पर आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि ग्राम बतको का खेड़ा पटवार हल्का दाथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित गै.मु. रास्ता आराजी नम्बर 1368 से होकर विपक्षी की सरहद बतको का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1594/1370 से होकर रास्ता गाडी गडार जो करीब 25 फीट चौडा है, से होकर अपनी आराजी मे आता जाता है. जहां करीब 25 फीट चौडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये प्रार्थी तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण संख्या 01 पैराकर सरकार उपस्थित। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 475 दिनांक 16.08.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि ग्राम जित्याखेडी पटवार मण्डल दांथल की आराजी नम्बर 804 रकबा 0.1893 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने के रास्तें हेतु विपक्षी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा के आराजी नम्बर 1594/1370 बिलानाम से 264 गुणा 33 फीट यानि 8712 वर्गफीट भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि पर पप्पुसिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत निवासी बतको का खेडा ने तारबन्दी कर रखी है। अतः प्रस्तावित रास्तें की भूमि पर पप्पुसिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत का कब्जा हटाते हुये प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: **आदेश** ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि सरहद ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दांथल, भू0अ0नि0 क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 804 रकबा 0.1897 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1594/1370 बिलानाम में से 264 गुणा 25 फीट यानि 6600 वर्गफीट यानि 0.0607 हैक्टेयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक रास्ते हुये स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी0एल0सी0 12,836 /– रूपये से दुगनी भूमि की कीमत डी0एल0सी0 अनुसार 25,672 /– रूपये बनती है। उक्त राशि प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा को जमा करावें। उक्त राशि जमा होने के पश्चात् प्रस्तावित रास्तें की भूमि पर पप्पुसिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत का कब्जा हटाते हुये स्वीकृत रास्ता राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर राजस्व नक्शें में तरमीम करें। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20/8/...2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा